



UTTAR PRADESH

A 529704

[6]

इलाहाबाद सरकारी से उक्त रमेश चन्द्र वगैरह का नाम खारिज कराकर अपने नाम की दाखिल खारिज करा लेवें। इसमें उक्त रमेश चन्द्र आदि व उनके वारिसान कायम मुकामान को कोई उज्र पुतराज न है और न आइन्दा कभी होगा। अगर खुदा-न-ख्वास्ता जायदाद मुबैया का जुज या कुल हिस्सा बदावेदारी किसी शख्स गैर या नुकस मिलकियत विक्रेता व रमेश चन्द्र आदि कब्जा व दखल क्रेती व उनके वारिसान कायम मुकामान से निकल जावे और क्रेती व उनके वारिसान कायम मुकामान को नुकसान व खेसारा बरदास्त करना पडे तो ऐसी सूत में क्रेती को अधिकार होगा कि वह जिस कदर नुकसान व खेसारा होवे विक्रेता व उक्त रमेश चन्द्र आदि की जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से बजरिये अदालत वशूल कर लेवें। इसमें उक्त विक्रेता व रमेश चन्द्र आदि को कोई उज्र पुतराज न होगा अगर कभी किसी समय कोई भी शख्स जायदाद मुबैया दावा अदालत करें तो बमुकाबिले तहरीर के बातिल कलअदम वेअसर समझा जाये जुज रकबा 343.62 वर्गमीटर जिसकी सरकारी रेट 3,500/- रुपया प्रतिवर्गमीटर की दर से मालियत 12,03,000/- रुपया होती है जिस पर शासनादेश संख्या- 2756/11 दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार मु0 10,00,000/- रुपया पर 6 प्रतिशत की दर से 60,000/- रुपया तथा शेष मुबलिय 2,03,000/- रुपया पर 7 प्रतिशत की दर से मु0 14,210/- रुपया इस प्रकार कुल मुबलिय 74,400/- रुपया का स्टाम्प शुल्क अदा किया जाता है। जमीन मुबैया पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है। खरीदारिया ने जमीन को आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद किया है।

2-11-10/2010-2011/10/1

Rasheda Husni